संख्या: 436/XXVIII-5-2005-19/2005

प्रेषक,

एस. राजू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-5

देहरादून: दिनांक: 03 अक्टूबर, 2005

विषय:- राज्य रक्षालस संस्थान पटवाडांगर, जनपद-नैनीताल को जी.बी. पन्त, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्त नगर के बायोटेक्नोलॉजी विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-199/चि0अ0/5/3/2001/14859 दिनांक 12 जुलाई, 2005 के संदर्भ में अवगत कराना है कि राज्य रक्षालस संस्थान पटवाडांगर में ए.आर.वी. (एन.टी. सैम्पल वैक्सिन) तथा टिटनस आक्साइड का उत्पादन डब्ल्यू0एच0ओ0/भारत सरकार के निर्देश पर ए0आर0वी0 भेड़ के मस्तिष्क के स्थान पर टिश्यू कल्चर से उत्पादित किया जाना है, जिसका उत्पादन डब्ल्यू0एच0ओ0 जी.एम.पी. के मानक के अनुसार किया जाना है। अतः भारत सरकार के दिशानिर्देशों के परिपेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन राज्य रक्षालस संस्थान, पटवाडांगर, नैनीताल को जी.बी. पन्त विश्वविद्यालय, पन्त नगर को हस्तान्तरण करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

- कर्मचारियों का हस्तान्तरण उनके विकल्प के आधार पर, प्रतिनियुक्ति पर किया जायेगा। उनकी सेवा शर्तें विभाग में विद्यमान सेवा शर्तों के अनुरूप ही होंगी एवं सरकारी सेवकों के अनुरूप सभी लाभ अनुमन्य होंगे। (सेवा के दौरान तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी) यह संवर्ग मृत संवर्ग होगा। उपरोक्त आधार पर कर्मचारियों का हस्तान्तरण गोविन्द बल्लभ पन्त विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन किया जायेगा।

- वैक्सिन का विश्वविद्यालय द्वारा व्यवसायिकता उत्पादन की गणना तथा वैक्सिन उत्पादन संख्या के ऊपर की जायेगी वह उत्तरांचल राज्य के स्वास्थ्य विभाग की आवश्यकता को पूर्ण करेगी तथा विभाग को वैक्सिन उत्पादन

मूल्य या बाजार भाव जो भी कम हो, पर विश्वविद्यालय द्वारा आपूर्ति की जायेगी एवं वैक्सिन उत्तरांचल स्वास्थ्य विभाग की आपूर्ति के उपरान्त अवशेष वैक्सीन को खुले बाजार में विश्वविद्यालय द्वारा विक्रय की जा सकेगी।

- आकस्मिकता के समय उत्तरांचल स्वास्थ्य विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं तकनीकी सहयोग भी जी.बी. पन्त विश्वविद्यालय द्वारा दिया जायेगा।

- वर्ष 2005-06 के अवशेष वित्तीय वर्ष का आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत बजट जो स्वास्थ्य विभाग अवशेष उपलब्ध है वह विश्वविद्यालय से हस्तान्तरित की जायेगी तथा अगले वर्ष 2006-07 से विश्वविद्यालय को उक्त कार्य हेतु आय-व्यय का प्राविधान जी.बी. पन्त विश्वविद्यालय अपने पैतृक विभाग से करेगा।

- राज्य रक्षालय पटवाडांगर में वर्तमान समय में अपर निदेशक, पटवाडांगर के लिये आवास एवं अतिथि गृह इसके आसपास लगभग 3 एकड़ भूमि है इस भूमि को स्वास्थ्य विभाग द्वारा पटवाडांगर को आसपास की जनता को चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भविष्य में चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी ताकि पटवाडांगर को आसपास की आबादी को चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा सके। अतः अपर निदेशक का आवास एवं अतिथि गृह को स्वास्थ्य विभाग के स्वामित्व में रहेंगे। इसको छोड़कर अन्य 100 एकड़ भूमि जी.बी. पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित की जायेगी।

2- संबंधित संस्था द्वारा भूमि का उपयोग प्रत्येक दशा में बायोटेक्नोलॉजी इन्स्टीट्यूट, विभिन्न प्रकार के वैक्सिन उत्पादन के लिये किया जायेगा। इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

3- राज्य रक्षालय संस्थान, पटवाडांगर में कार्य करने से पूर्व चिकित्सा विभाग तथा विश्वविद्यालय के बीच एक एम.ओ.यू. किया जायेगा।

4- विश्वविद्यालय द्वारा एम.ओ.यू. के अनुरूप ही गतिविधियां संचालित की जायेंगी तथा इसका मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रत्येक छः माह में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा किया जायेगा।

5- कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एस. राजू)
सचिव

संख्या: 438(1)/XXVIII-5-2005-19/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर/प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. आयुक्त कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. कुलपति, गोविन्द बल्लभ कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. संयुक्त निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान पटवाडांगर, नैनीताल।
7. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरांचल।
9. गार्ड फाईल/एन.आई.सी.।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव